1

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-1
संख्या: ३१० / VII-1 / 2016 / 158-ख / 2004
देहरादून : दिनांक: 04 मार्च, 2016

अधिसूचना

खनिजों के अवैध परिवहन एवं भण्डारण पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने तथा राजस्व क्षति को रोकने तथा खनिज भण्डारण की प्रक्रिया को सरलीकृत किये जाने के उद्देश्य एवं अधिकारों को विकेन्द्रीकृत किये जाने के दृष्टिगत अधिसूचना संख्या-96 / VII-1 / 2015 / 158-ख / 2004 दिनांक 22 जनवरी, 2016 द्वारा उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2005 यथासंशोधित, 2015 में कतिपय अतिरिक्त प्रावधान तथा संशोधन किये गये। उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2005 यथासंशोधित, 2015 में निम्नवत् आंशिक संशोधन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

वर्तमान प्राविधान	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्राविधान
नियम-8(1) इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, खनिजों के भण्डारण की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन कोई भी व्यक्ति / संस्था / फर्म / कम्पनी संबंधित जनपद के ज्येष्ठ खान अधिकारी / खान अधिकारी को प्रपत्र-"एच" में चार प्रतियों में **संलग्न अनुसूची** में इंगित अभिलेखों के साथ प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदक द्वारा व्यापार कर विभाग से बिक्री कर तथा भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग से खनिज अवशेष बकाया न होने का प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा, इस हेतु शपथ पत्र मान्य नहीं होगा। आवेदन की एक प्रति पावती के रूप में आवेदक को हस्ताक्षर कर वापस कर दिया जायेगा। संबंधित ज्येष्ठ खान अधिकारी / खान अधिकारी के द्वारा आवेदन पत्र का संलग्नकों सहित का परीक्षण कर अभिलेख पूर्ण होने के उपरान्त स्थलीय निरीक्षण की कार्यवाही हेतु संबंधित जिलाधिकारी को सन्दर्भित किया जायेगा। खनिज भण्डारण के आवेदन हेतु पर्वतीय क्षेत्र (Zone-A) हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर, मध्य पर्वतीय क्षेत्र (Zone-B) हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर तथा मैदानी क्षेत्र (Zone-C) हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर तथा उक्त के अतिरिक्त पर्वतीय क्षेत्र (Zone-A), मध्य पर्वतीय क्षेत्र (Zone-B) तथा मैदानी क्षेत्र (Zone-C) हेतु वाहनों एवं तोल मशीन हेतु अतिरिक्त क्रमशः 50 वर्ग मीटर, 75 वर्ग मीटर एवं	**नियम-8(1)** इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, खनिजों के भण्डारण की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन कोई भी व्यक्ति / संस्था / फर्म / कम्पनी संबंधित जनपद के ज्येष्ठ खान अधिकारी / खान अधिकारी को प्रपत्र-"एच" में चार प्रतियों में **संलग्न अनुसूची** में इंगित अभिलेखों के साथ प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदक द्वारा व्यापार कर विभाग से बिक्री कर तथा भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग से खनिज अवशेष बकाया न होने का प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा, इस हेतु शपथ पत्र मान्य नहीं होगा। आवेदन की एक प्रति पावती के रूप में आवेदक को हस्ताक्षर कर वापस कर दिया जायेगा। संबंधित ज्येष्ठ खान अधिकारी / खान अधिकारी के द्वारा आवेदन पत्र का संलग्नकों सहित का परीक्षण कर अभिलेख पूर्ण होने के उपरान्त स्थलीय निरीक्षण की कार्यवाही हेतु संबंधित जिलाधिकारी को सन्दर्भित किया जायेगा। खनिज भण्डारण के आवेदन हेतु पर्वतीय क्षेत्र (Zone-A) हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर, मध्य पर्वतीय क्षेत्र (Zone-B) हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर तथा मैदानी क्षेत्र (Zone-C) हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर तथा उक्त के अतिरिक्त पर्वतीय क्षेत्र (Zone-A), मध्य पर्वतीय क्षेत्र (Zone-B) तथा मैदानी क्षेत्र (Zone-C) हेतु वाहनों एवं तोल मशीन हेतु अतिरिक्त क्रमशः 50 वर्ग मीटर, 75 वर्ग मीटर एवं

100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का होना अनिवार्य होगा।	100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का होना अनिवार्य होगा ; परन्तुक भण्डारण अनुज्ञा स्वीकृति/नवीनीकरण हेतु आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले अभिलेखों की सूची के क्रमांक 11 पर अंकित आवेदक या आवेदक फर्म के भागीदारों का हैसियत प्रमाण पत्र की प्रति की अनिवार्यता जनपद चम्पावत में शारदा नदी के टनकपुर क्षेत्र में उपखनिज भण्डारण की अनुमति हेतु नहीं होगी।
नियम–8(2) ऐसे प्रत्येक आवेदन के साथ नियमानुसार आवेदन शुल्क देय होगा। 1. पर्वतीय क्षेत्र (Zone-A) :–खनिज भण्डारण हेतु 1000 घनमीटर तक के लिए आवेदन शुल्क रूपये 0.25 लाख (रू0 पच्चीस हजार) तथा इससे अधिक क्षेत्रफल एवं मात्रा हेतु प्रत्येक 1000 घनमीटर या उसके भाग पर अतिरिक्त रूपये 0.25 लाख (रू0 पच्चीस हजार) आवेदन शुल्क देय होगा। 2. मध्य पर्वतीय क्षेत्र (Zone-B) :–खनिज भण्डारण हेतु 1000 घनमीटर तक के लिए आवेदन शुल्क रूपये 0.50 लाख (रू0 पचास हजार) तथा इससे अधिक क्षेत्रफल एवं मात्रा हेतु प्रत्येक 1000 घनमीटर या उसके भाग पर अतिरिक्त रूपये 0.50 लाख (रू0 पचास हजार) आवेदन शुल्क देय होगा। 3. मैदानी क्षेत्र (Zone-C) :–खनिज भण्डारण हेतु 1000 घनमीटर तक के लिए आवेदन शुल्क रूपये 0.60 लाख (रू0 साठ हजार) तथा इससे अधिक क्षेत्रफल एवं मात्रा हेतु प्रत्येक 1000 घनमीटर या उसके भाग पर अतिरिक्त रूपये 0.60 लाख (रू0 साठ हजार) आवेदन शुल्क देय होगा। राज्य में स्वीकृत स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर धारक एवं मोबाईल स्टोन क्रेशर धारक, सोपस्टोन पट्टाधारक एवं सोपस्टोन ट्रेडर, उपखनिज बालू, बजरी, बोल्डर के पट्टाधारक, बालू, बजरी, बोल्डर, ग्रिट आदि के रिटेल भण्डारण हेतु आवेदनकर्ता को उक्तानुसार आवेदन शुल्क देय होगा।	**नियम–8(2)** ऐसे प्रत्येक आवेदन के साथ नियमानुसार आवेदन शुल्क देय होगा। 1. पर्वतीय क्षेत्र (Zone-A) :–खनिज भण्डारण हेतु 1000 घनमीटर तक के लिए आवेदन शुल्क रूपये 0.25 लाख (रू0 पच्चीस हजार) तथा इससे अधिक क्षेत्रफल एवं मात्रा हेतु प्रत्येक 1000 घनमीटर या उसके भाग पर अतिरिक्त रूपये 0.25 लाख (रू0 पच्चीस हजार) आवेदन शुल्क देय होगा। 2. मध्य पर्वतीय क्षेत्र (Zone-B) :–खनिज भण्डारण हेतु 1000 घनमीटर तक के लिए आवेदन शुल्क रूपये 0.50 लाख (रू0 पचास हजार) तथा इससे अधिक क्षेत्रफल एवं मात्रा हेतु प्रत्येक 1000 घनमीटर या उसके भाग पर अतिरिक्त रूपये 0.50 लाख (रू0 पचास हजार) आवेदन शुल्क देय होगा। 3. मैदानी क्षेत्र (Zone-C) :–खनिज भण्डारण हेतु 1000 घनमीटर तक के लिए आवेदन शुल्क रूपये 0.60 लाख (रू0 साठ हजार) तथा इससे अधिक क्षेत्रफल एवं मात्रा हेतु प्रत्येक 1000 घनमीटर या उसके भाग पर अतिरिक्त रूपये 0.60 लाख (रू0 साठ हजार) आवेदन शुल्क देय होगा। राज्य में स्वीकृत स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर धारक एवं मोबाईल स्टोन क्रेशर धारक, सोपस्टोन पट्टाधारक एवं सोपस्टोन ट्रेडर, उपखनिज बालू, बजरी, बोल्डर के पट्टाधारक, बालू, बजरी, बोल्डर, ग्रिट आदि के रिटेल भण्डारण हेतु आवेदनकर्ता को उक्तानुसार आवेदन शुल्क देय होगा ;

	परन्तुक जनपद चम्पावत में शारदा नदी के टनकपुर क्षेत्र में उपखनिज के रिटेल भण्डारण हेतु मैदानी क्षेत्र (Zone-C) हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क ₹ 60,000.00 के स्थान पर ₹ 25,000.00 देय होगा।
नियम–11–च अनुज्ञप्तिधारक भण्डारण स्थल के परिसर में इलैक्ट्रोनिक तोल मशीन स्वयं के व्यय से अनिवार्य रूप से स्थापित करेगा। अनुज्ञप्तिधारक स्वयं के व्यय से इलेक्ट्रोनिक तोल मशीन को भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के सर्विलांस सिस्टम से लिंक करते हुए उसका निर्बाध रूप संचालन करना सुनिश्चित करेगा। 1000 घनमीटर से अधिक खनिज भण्डारकर्ताओं को सी०सी०टी०वी० रिकार्डिंग सहित अपने व्यय से प्रवेश एवं निकासी द्वार पर लगाया जाना अनिवार्य होगा और उसकी रिकार्डिंग संचित करेगा एवं सक्षम अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जायेगा।	**नियम–11–च** अनुज्ञप्तिधारक भण्डारण स्थल के परिसर में इलैक्ट्रोनिक तोल मशीन स्वयं के व्यय से अनिवार्य रूप से स्थापित करेगा। अनुज्ञप्तिधारक स्वयं के व्यय से इलेक्ट्रोनिक तोल मशीन को भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के सर्विलांस सिस्टम से लिंक करते हुए उसका निर्बाध रूप संचालन करना सुनिश्चित करेगा। 1000 घनमीटर से अधिक खनिज भण्डारकर्ताओं को सी०सी०टी०वी० रिकार्डिंग सहित अपने व्यय से प्रवेश एवं निकासी द्वार पर लगाया जाना अनिवार्य होगा और उसकी रिकार्डिंग संचित करेगा एवं सक्षम अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जायेगा ; परन्तुक जनपद चम्पावत में शारदा नदी के टनकपुर क्षेत्र में 3000 घनमीटर से कम उपखनिज भण्डारण वाले व्यक्तियों को तौल कांटा लगाना अनिवार्य नहीं होगा।

आज्ञा से,

(श्रीधर बाबू अद्दांकी)
अपर सचिव